भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †282

उत्तर देने की तारीख- 05/02/2024

पीवीटीजी योजना

†282. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री देवजी पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीवीटीजी मिशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के मिशन मोड में विकास के लिए कोई नई योजना तैयार की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक और समग्र विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां ए.सी. जनजाति (आदिम जाति) मुख्य रूप से मौजूद है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): माननीय प्रधानमंत्री ने जनजाति गौरव दिवस (15 नवंबर 2023) पर, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ खूंटी झारखंड से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य 3 वर्ष में

पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य तथा पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से मिशन मोड में परिपूर्ण (संतृप्त) करना है। पीएम-जनमन सभी पात्र पीवीटीजी लाभार्थियों / पीवीटीजी गांवों और बस्तियों को कवर करने के लिए 11 महत्वपूर्ण उपायों पर केंद्रित है, जो बीआईएसएजी-एन के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से कैप्चर (एकत्रित) किये गये मौजूदा अंतरों पर आधारित है। ये उपाय 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा।

(घ): पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक और समग्र विकास के लिए, यह मंत्रालय "पीवीटीजी के विकास" की योजना क्रियान्वित (लागू) कर रहा है, जिसमें संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र को उनके प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा जनजातीय उप-योजना निधियों से राज्यों द्वारा विकास परियोजनाएं चलाई जाती हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय 6वीं से 12वीं कक्षा तक अजजा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)" भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। पीवीटीजी छात्रों के लिए प्रत्येक ईएमआरएस में 5% सीटें आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना में, 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के तहत, 20 स्लॉट में से 3 स्लॉट पीवीटीजी अभ्यर्थी के लिए आरक्षित हैं।

(ङ): 18 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए जनजातीय समुदायों में सबसे कमजोर वर्गों के 75 समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के रूप में नामोदिष्ट किया गया था।

*****